



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-163

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 273626 दिनांक 23/12/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Sub Division and Reconstitution जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Rishabh Sharma S/o KAILASH CHAND SHARMA	साक्षी सिंह पुत्री स्व. श्री संजीव कुमार सिंह	45	199.24 SQ. YARD	Private	R F C ENCLAVE Sector/Block-B	Sub Division and Reconstitution	निजी खातेदारी योजना आर.एफ.सी. एनक्लेव चौनपुरा सांगानेर के भूखण्ड संख्या बी-45 क्षेत्रफल 199.24 व.ग. की लीज डीड दिनांक 28.03.2011 को साक्षी सिंह पुत्री स्व. श्री संजीव कुमार सिंह के पक्ष में जारी की गई है। तत्पश्चात साक्षी सिंह द्वारा श्री वरुण खण्डेलवाल पुत्र श्री हरिमोहन खण्डेवाल एवं श्री प्रेम रतन चौहान पुत्र श्री चन्दन मल चौहान को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.07.2025 के द्वारा बेचान किया गया है। तत्पश्चात श्री वरुण खण्डेलवाल पुत्र श्री हरिमोहन



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								खण्डेवाल एवं श्री प्रेम रतन चौहान पुत्र श्री चन्दन मल चौहान द्वारा श्री रिषभ शर्मा पुत्र श्री कैलाश चन्द्र शर्मा को भूखण्ड संख्या बी-45 क्षेत्रफल 199.24 व.ग. में से भूखण्ड संख्या बी-45-ए दक्षिणी भाग क्षेत्रफल 108.68 व.ग. का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.12.2025 के द्वारा बेचान किया गया है।
--	--	--	--	--	--	--	--	---

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Sub Division and Reconstitution जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Rishabh Sharma S/o KAILASH CHAND SHARMA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतिपाठ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |